56

163

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा म0प्र0

विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित विलोपित/विलोपित

त्रिवेणी प्रसाद तनय श्री रामदयाल पाण्डेय निवासी ग्राम सदहना तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0 ====== निगराकार Rs.30/-

2017/2665

बनाम

1- रामलखन पाण्डेय तनय स्वर्गीय श्री देवीदीन पाण्डेय उम्र- 70 साल निवासी ग्राम सदहना तहसील सिरमौर जिला रीवा म0प्र0

2- रामदयाल पाण्डेय तनय स्व0 श्री देवीदीनपाण्डेय निवासी ग्राम सदहना तहसील सिरमौर जिलारीवा म0प्र0 ===== गैरनिगराकारगण

आवे0 श्री सन्तमुनि पाण्डेय द्वारा पेश 14.8.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक- 8/8/17 न्यायालय तहसीलदार तहसील सिरमौर जिलारीवा जो प्रकरण क्रमांक 6अ 13/2016-17 में पारित किया गया है ।

===================================

निगरानी अन्तर्गत धारा- 50 म0प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 ई0.

===================================

मान्यवर,

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य -</u>

यह कि गैरनिगराकार क्रमांक- 1 रामलखन द्वारा एक आवेदन पत्र तहसीलदार तहसील सिरमौर जिलारीवा के समक्ष एक आवेदन माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक आर 157/3/1999 आदेश दिनांक- 30/11/2002 के परिपालन में न्यायालय तहसीलदार तहसील सिरमौर के प्रकरण क्र0-2अ-13/90-91 के आधार पर अवरूद्ध मार्ग खोलवाए जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार तहसील सिरमौर ने अपने आदेश दिनांक 13-9-91 में यह स्पष्ट किया गया है कि आराजी नम्बर 79 के भूमिस्वामी अनावेदक रामदयाल के लडके हैं ।

क्रमशः2..//पर

त्रिवेणीप्रसाद

(56)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 2665 जिला–रीवा

त्रिवेणी प्रसाद पाण्डेय / रामलखन पाण्डेय

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री त्रिवेणी प्रसाद पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 06 / अ–13 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 08.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.06.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	